ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –
167/2007 वाद पत्र

तारीख दायर
18.07.2007

तारीख फैसला
15.10.2019

उनवान

1. मुन्ना लाल डाकोत पुत्र लादूलाल डाकोत निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. नगरपालिका शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता – श्री त्रिलोकचन्द नौलखा
प्रतिवादी नं0 1 अधिवक्ता :– पेरोकार सरकार
प्रतिवादी नं0 2 अधिवक्ता :– श्री दुर्गालाल राजोरा

–:: निर्णय ::–

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम शाहपुरा पटवार मण्डल शाहपुरा जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित बंदोबस्त पूर्व की आराजी संख्या 4173 जो कि श्री भगतराम आत्मज रामबक्ष महाजन की खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की थी। जिसमें से 1 बीघा जमीन तत्समय के पडौसी के अनुसार निम्न पड़ौसान के मध्य स्थित वादी को दिनांक 02.05.1963 को विक्रय कर कब्जा व अधिकार सिपुर्द करते हुए विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित किया। जिसके पड़ौस निम्न प्रकार है :–

पूर्व :– श्री लादूलाल डाकोत की जमीन जो भगतराम महाजन से क्रय की।
पश्चिम :– शाहपुरा – भीलवाड़ा सड़क
उत्तर :– भगतराम महाजन की जमीन
दक्षिण :– श्रीवक्ष कोली की जमीन

वादी द्वारा खरीद की गई साबिक आराजी संख्या 4173 में से खरीदे गये आंशिक रकबे का आराजी संख्या 4173/2 रकबा 1 बीघा कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण वादी के नाम पर खोला गया। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में आराजी संख्या 4173/2 वादी के नाम दर्ज कर दी गई तथा कब्जा वादी का चला आ रहा था। इसी दौरान जरिये नामान्तरकरण संख्या 2141 सम्वत् 2028 के आधार पर प्रशासकीय तौर पर आराजी संख्या 4173/2 जो वादी के नाम दर्ज कर दी, उसे बिलानाम दर्ज करते हुये आराजी संख्या 4182 मी0 जो बिलानाम दर्ज थी, उसमें से 4182/2 रकबा 1 बीघा वादी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। आराजी संख्या 4182/2 जो आराजी संख्या 4182 मी0 से बनना प्रस्तावित थी, उसका बाद बंदोबस्त हाल आराजी संख्या 7801 कायम किया गया, जो साबिक आराजी संख्या 4182 मी0 4179 मी0 तथा 4180 मी0 से संयुक्त रूप से कायम हुआ है। हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 हैक्टेयर भूमि वादी द्वारा खरीद गई, उक्त 1 बीघा भूमि एवं वादी के पिता स्वर्गीय श्री लादूलाल डाकोत द्वारा श्री भगतराम महाजन से ही खरीद गई। 1 बीघा भूमि के आधार पर संयुक्त रूप से कब्जे काश्त में चली आ रही है। साबिक आराजी संख्या 4182/2 जिसके हाल नम्बर 7801 कायम हुए है। हाल नम्बर 7801

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

के नाम दर्ज नही कर बिलानाम दर्ज कर दिया। कालान्तर में हाल आराजी नम्बर 1 त्रुटिपूर्ण तरीके से आबादी नगरपालिका में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। तानुसार ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा वादी हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 टेयर की पश्चिम के आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इन्द्राज रस्ती की सिद्धि वादी द्वारा चाही गई।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया या। प्रतिवादीगणों की ओर से पृथक् – पृथक् जवाब प्रस्तुत किया गया व वादपत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

वादपत्र एवं जवाब दावें के अनुसार तनकियात विरचित की गई।

तनकी संख्या 1 – आया ग्राम शाहपुरा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7801 रकबा 0.53 हैक्टेयर के पश्चिम के आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करा, इन्द्राज दुरस्ती कराने का अधिकारी है ?

– जिम्मे वादी

तनकी संख्या 2 – आया धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस विधिवत् नही दिया गया। अतः दावा काबिल खारीज के है ?

– जिम्मे प्रतिवादी सं. 2

तनकी संख्या 3 – आया दावा मियाद बाहर है ? – जिम्मे प्रतिवादी सं. 2

तनकी संख्या 4 – दादरसी ?

वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 1 मुन्नालाल, पीडब्ल्यू 2 ब्रजमोहन पाराशर, पीडब्ल्यू 3 सत्यनारायण तेली, पीडब्ल्यू 4 अर्जुनलाल कोली, पीडब्ल्यू 5 ओमप्रकाश स्वर्णकार परीक्षित कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 विक्रय पत्र, प्रदर्श 2 नामान्तरकरण संख्या 33, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 तक, प्रदर्श 4 नामान्तरकरण संख्या 2141, प्रदर्श 5 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 6 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 7 जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 तक, प्रदर्श 8 दफा 80 सूचना पत्र, प्रदर्श 9 एवं 10 पोस्टल रसीदें, प्रदर्श 11 व 12 पावती रसीदें, प्रदर्श 13 लगायत 22 हासल की रसीदें, प्रदर्श 23 प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई व न ही दस्तावेज पेश किये गये। उभयपक्ष बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी संख्या 1 – आया ग्राम शाहपुरा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7801 रकबा 0.53 हैक्टेयर के पश्चिम के आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करा, इन्द्राज दुरस्ती कराने का अधिकारी है ? उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे था। वादी ने अपनी ओर से दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रदर्श 1 विक्रय पत्र में वादग्रस्त आराजी को वादी द्वारा दिनांक 02.05.1963 को खातेदार भगतराम महाजन से 99 रूपये में खरीद किये जाने का तथ्य प्रमाणित है। उक्त प्रदर्श 1 को लिखने वाला मदनमोहन पाराशर के छोटे भाई ब्रजमोहन पाराशर को पीडब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित कराया जिसने प्रदर्श 1 पर सी से डी हस्ताक्षर बड़े भाई मदनमोहन के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। दस्तावेज मदनमोहन पाराशर की लेखनी से लिखा होना गवाह ब्रजमोहन ने जाहिर किया। दस्तावेज प्रदर्श 1 की ताईद वादी ने भी की। प्रदर्श 2 अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी संख्या 4173 मी0 नम्बर वादी के खाते में 4173/2 नम्बर दर्ज कर खाता खोला गया, जो जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025, जो प्रदर्श 3 से स्पष्ट जाहिर होता है। प्रदर्श 4 के अवलोकन से यह जाहिर होता है। 4173/2 के परिवर्तित नम्बर 4182/2 वादी के नाम नामा0 खोला गया। प्रदर्श 5 मिलान खसरा के अवलोकन से नये व पुराने स्पष्टतया वादग्रस्त आराजी के होना प्रतीत होता है। हाल आराजी नम्बर 7801 प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी में दर्ज होना जाहिर होता है। प्रदर्श 13 लगायत 22 हासल की रसीदें वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत की हुई। प्रदर्श 23 मिलस नम्बर 1448/2563 दिनांक 08.12.1971 नम्बर तब्दील करने की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्राप्त करने का आवेदन पत्र है। जिसकी पुश्त पर दस्तावेज उपलब्ध नही होने का अंकन किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रदर्श 1 वादी द्वारा आराजी संख्या 4173 में से 1 बीघा जमीन खरीद की गई, जिसके आधार पर जरिये प्रदर्श 2 नामा0 के वादी को खातेदारी हक प्रदान कर दिये गये तथा नामा0 2141 के वादग्रस्त आराजी नम्बर 4173/2 1 बीघा के परिवर्तित नम्बर 4182/2 जरिये प्रदर्श 3 के दर्ज किये जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श 6 का भी अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वादी द्वारा आराजी का खरीद किया जाना और भू-प्रबन्ध से पूर्व खातेदारी में दर्ज होने का तथ्य प्रमाणित है । वादग्रस्त आराजी पर पर वादी का वर्तमान में कब्जा निरन्तर व उपयोग उपभोग में होना का तथ्य भी प्रमाणित है। हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 हैक्टेयर में से 1/2 पश्चिम हिस्से पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। उपरोक्त विवेचनानुसार यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादी ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7801 रकबा 0.53 हैक्टेयर के पश्चिम दिशा के 1/2 1 बीघा कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। उक्त अनुसार तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 – आया धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस विधिवत् नहीं दिया गया। अतः दावा काबिल खारीज के है ? उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण को था। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 08 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा विधिसम्मत दफा 80 जाप्ता दीवानी का सूचना पत्र प्रेषित किया जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुका है जो प्रदर्श 11 व 12 के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 02 इस तनकी को साबित करने में असफल रहे है। उक्त विवेचनानुसार यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है ।

तनकी संख्या 3 – आया दावा मियाद बाहर है ? पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि विधिसम्मत नोटिस देकर अन्दर अवधि वाद प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर यह तनकी वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 दादरसी उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 है0 के पश्चिम दिशा के 1/2 हिस्से अर्थात् 1 बीघा कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा वर्तमान में हाल जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जाना उचित समझता हूं।

–:: आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 है0 के पश्चिम की ओर का 1/2 हिस्से (भीलवाडा शाहपुरा सडक से लगा हुआ) का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल जमाबंदी में प्रतिवादी नं 02 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है । डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1. मुन्ना लाल डाकोत पुत्र लादूलाल डाकोत निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. नगरपालिका शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा नम्बर 167 सन् 2007 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 है0 के पश्चिम की ओर का 1/2 हिस्से (भीलवाड़ा शाहपुरा सड़क से लगा हुआ) का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल जमाबंदी में प्रतिवादी नं 02 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है ।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 15 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner